



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 904 / SEIAA/2022

Date: 28/6/22

प्रति,

श्री अंशुल खरे,
आत्मज श्री अरुण खरे,
निवासी-इन्द्रपुरी कॉलोनी, आईएसटी, टीकमगढ़
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 8255/2021 - परियोजना प्रस्तावक श्री अंशुल खरे आत्मज श्री अरुण खरे, निवासी-इन्द्रपुरी कॉलोनी, आईएसटी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 24519 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 236/1, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम श्रीनगर, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 733 वी बैठक दिनांक 21.06.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

".....उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 01 अन्य खदान (देवेन्द्र जैन) के साथ प्रस्तावित खदान की Overlapping एवं खदान में अवैध उत्खनन होना परिलक्षित हो रहा है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत जिला खनिज अधिकारी से प्रस्तावित खदान की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाये। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 20.06.2022 अनुसार Overlapping एवं अवैध उत्खनन के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाख) टीकमगढ़ का पत्र क्र. 3637 दिनांक 20.06.2022 प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह पाया कि उक्त खदान क्लस्टर समूह में होने के कारण प्रकरण बी-1 श्रेणी में है इसलिये प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में क्लस्टर के प्रबंधन की योजना का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाना चाहिये।

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर इन्वायरमेन्टर मैनेजमेन्ट प्लान ई.आई.ए. में सम्मिलित नहीं है अतः 15 दिवस के अंदर SEIAA में प्रस्तुत करें, जिसमें इसे कैसे लागू किया जायेगा इसका का भी विस्तृत विवरण का समावेश करें। तदोपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा तथा वाछित जानकारी प्राप्त होने तक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण Delist किया जाता है।


(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 905 /SEIAA/2022
प्रतिलिपि:-

दिनांक - 28/6/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी